न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 30/2020
जीसीएमएस : 2020/00343

1. दयाराम पुत्र हजारीराम जाति सुथार निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. भागी गिर पुत्र चूनगिर जाति गुसाई निवासी 29 पीएस ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—
1. श्री जितेन्द्र सोनी, वकील प्रार्थी
2. एकपक्षीय

—: निर्णय :—

दिनांक : 24.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 45 पीएस के खाता सं. 47 मु.नं. 8 प.नं. 221/300 में कि.नं. 8 में 0.253है., कि.नं. 9 में 0.126है., कि.नं. 13 में 0.127है., कि.नं. 14 ता 16 सालम—सालम, कि.नं. 17 में 0.126है., कि.नं. 25 में 0.127है. कुल 1.518है. नहरी भूमि व अप्रार्थी भागी गिर के नाम से चक 45 पीएस के खाता सं. 76 मु.नं. 7 प.नं. 220/300 में कि.नं. 1 में 0.228है., कि.नं. 2/1 में 0.057है., कि.नं. 9/2 में 0.063है., कि.नं. 10 में 0.253है., कि.नं. 11/1 में 0.177है., कि.नं. 11/2 में 0.051है., कि.नं. 11/3 में 0.025है., कि.नं. 12/1 में 0.038है., कि.नं. 12/2 में 0.025है. कि.नं. 19/1 में 0.063है., कि.नं. 20, 21 सालम सालम, कि.नं. 22/1 में 0.063है. इस प्रकार कुल 1.549है. नहरी बारानी मय खाला भूमि पूर्व में उक्त भूमि अप्रार्थी के पिता चुनगिर के नाम से थी, तब अप्रार्थी की माता ने दिनांक 09.12.1997 को चक 45 पीएस के मु.नं. 7 के कि.नं. 1 में दो बिस्वा, 10 में 2 बीस्वा, 11 में 1 बीस्वा कुल 5 बीस्वा भूमि रास्ते के लिए दी थी, जो मु.नं. 8 में प्रार्थी के खेत में जाता था, और एक ईकरारनामा भी इस रास्ते बाबत लिखकर दिया था, और 6 हजार रूपये उस वक्त इस रास्ता के लिए प्राप्त किये थे तब से लेकर आज तक रास्ता चला आ रहा है, परन्तु अभी राजस्व रिकार्ड में यह रास्ता स्वीकृत नहीं हुआ हैं, इसलिए प्रार्थी अपनी विशिष्या पेश कर चक 45 पीएस के मु.नं. 7 के कि.नं. 1 में दो बीस्वा, कि.नं. 10 में 2 बीस्वा, कि.नं. 11 में 1 बीस्वा कुल 5 बीस्वा रास्ता जो वर्ष 1997 से चालू हैं उसे स्वीकृत करवाना चाहता हैं। राजस्व रिकार्ड में रास्ता अमल दरामद करने के आदेश दिए जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। दिनांक 19.01.2021 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 45 दिनांक 14.01.2021 एवं 269 दिनांक 23.02.2021 अनुसार "प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में आने जाने हेतु चक 45 पीएस के मु.नं. 7 के कि.नं. 1—10—11 में आवागमन हेतु चालू रास्ता है जो प्रार्थी द्वारा चाहा गया है इसी रास्ते को स्वीकार करवाना चाहता हैं। जो कि उचित हैं। उक्त रास्ता को स्वीकार किया जाना उचित हैं।"

बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दाहराते हुए कथन किया कि कि.नं. 1—10—11 में आवागमन हेतु रास्ता वर्ष 1997 से चालू हैं। रास्ता बाबत अप्रार्थी की माता द्वारा ईकरारनामा भी किया गया हैं। रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी नं 1997 का जो इकरारनामा प्रस्तुत किया है, उसमें खातेदार चूनगिर का कहीं उल्लेख नहीं हैं, खातेदार की बगैर सहमति के किसी भी प्रकार का अनरजिस्टर्ड दस्तावेज किस प्रकार वैध है, यह प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहा है। वर्तमान जमाबंदी भागी गिर के नाम से है, तहसीलदार रिपोट्र से भी स्पष्ट हैं कि प्रार्थी को अवागमन करने में कोई बाधा कारित नहीं की जा रही है। [illegible] के अवलोकन से भी स्पष्ट हैं कि प्रार्थी के खेत तक पंहुच के अन्य वैकल्पिक प्रस्तावित रास्ते भी हो सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानों एवं उनको प्रभावी करने हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम 68—69 के प्रावधान अनुसार जब रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता हो [illegible] रास्ता स्वीकृत जाए। अतः न्यायालय की दृष्टि में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज.काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 11:58:29 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner